



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233779
CG-DL-E-28022022-233779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 167(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप अभिप्रेत है;
- (ग) "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष के 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और ठीक आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
- (घ) "आईएफएससीए" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अभिप्रेत है।

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. **वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप.-** प्राधिकरण, इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण लेखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.-** प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को नियम 3 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
5. **विवरणियां और विवरण तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करना.-** प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन पर मासिक अद्यतन स्थिति;
 - केंद्रीय सरकार से सहायता या समर्थन प्राप्त करने वाली किसी स्कीम या परियोजना या घटना पर मासिक अद्यतन स्थिति
 - किसी अन्य मद पर रिपोर्ट या विवरण या सूचना जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

[नियम 3 देखें]

खंड क:

- लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण
- अध्यक्ष का संदेश/विवरण
- बोर्ड के सदस्य
- प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन

अंतर्वस्तु

- बॉक्स मदों की सूची
- सारणियों की सूची
- आंकड़ों की सूची
- संक्षिप्ताक्षर

खंड ख: पुनर्विलोकन वर्ष: साधारण आर्थिक पर्यावरण का अवलोकन -

- वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और आईएफएससीए के लिए अवसर
- घरेलू आर्थिक मूल्यांकन और आईएफएससीए के सन्दर्भ तक सीमित संभावनाएं

खंड ग: प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों का पुनर्विलोकन:

इसमें निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों के संबंध में लेखा/पुनर्विलोकन सम्मिलित होगा:

- पूंजी बाजार
- बैंककारी
- बीमा
- अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज
- फिनटेक हब

- (vi) ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स
- (vii) विमान पट्टे पर देना
- (viii) अन्य क्षेत्र

ब्योरा नीचे वर्णित बिंदु)क(से बिंदु)अ (पर विस्तार से होना चाहिए:

- (क) वित्तीय उत्पाद/सेवाएं/बाजार अवसंरचना संस्थान: विनियमों, अधिसूचनाओं, प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों को जारी करने के संबंध में कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं,
- (ख) संव्यवहार/प्रक्रिया/प्रसंचालन/रुझान
- (ग) वकालत और आउटरीच: अभियान, नियुक्तियों/परामर्श, प्रकाशन आदि।
- (घ) अनुसंधान: वर्किंग पेपर, शोध रिपोर्ट, मूल्यांकन और संभावनाएं आदि।
- (ङ) विनियम और पर्यवेक्षण
- (च) निगरानी तंत्र
- (छ) प्रवर्तन और वसूली कार्यवाहियां
- (ज) विधिक पहलू
- (झ) अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव
- (ञ) आगामी वर्ष की नीतियां और कार्यक्रम

खंड घ : प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक में आने वाली कृत्यों की सूची/कवरेज

खंड ङ: परिणाम/लक्ष्य/उपलब्धि/प्रभाव (उद्देश्यों, अधिदेश, विजन के संबंध में) के संबंध में प्राधिकरण का प्रदर्शन मूल्यांकन।
उक्त के सारांश आंकड़े।

खंड च: धन का स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

खंड छ: प्राधिकरण द्वारा वैधानिक दायित्वों के साथ गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, का विवरण और उसका कारण।

खंड ज: संगठनात्मक मामले, जिसमें बैठक, मानव संसाधन, लेखा परीक्षा समिति, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता, निवेशक संरक्षण सम्मिलित है।

खंड झ: ऐसे अन्य विवरण जो हितधारकों को प्राधिकरण के प्रदर्शन की समीक्षा करने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाते हैं

खंड ञ: लेखा संपरीक्षा समितियां

डेटा परिशिष्ट: उपरोक्त के समर्थन में

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम (भाग)]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 27 read with section 19 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act of 2019;
- (b) “Form” means the form of the annual report annexed to these rules;
- (c) “financial year” means the period beginning on the 1st day of April and ending on the 31st March of the immediately following year;
- (d) “IFSCA” means the International Financial Services Centres Authority.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Form of annual report.-The Authority shall prepare its annual report, giving true and full accounts of its activities, policies and programmes, during the previous financial year in the Form annexed to these rules.

4. Submission of annual report. - The Authority shall submit a copy of the annual report referred to in rule 3 to the Central Government within a period of ninety days after the end of every financial year.

5. Furnishing of returns and statements and other particulars.- The Authority shall furnish to the Central Government -

- (i) monthly updated status on the development and regulation of the financial products, financial services and financial institutions in the International Financial Services Centres;
- (ii) monthly updated status on a scheme or project or event that has received assistance or support from the Central Government
- (iii) report or statement or information on any other item as may be required by the Central Government.

Form of Annual Report

[See rule 3]

Section A:

- (i) Statement of Goals and Objectives
- (ii) Chairman's Message/Statement
- (iii) Members of the Board
- (iv) Senior Management of the Authority

Contents

- (i) List of Box Items
- (ii) List of Tables
- (iii) List of Figures
- (iv) Abbreviations

Section B: The Year in Review: Overview of the General Economic Environment for –

- (i) Global Economic Assessment, Outlook and Opportunities for IFSCA
- (ii) Domestic Economic Assessment and Prospects limited to IFSCA

Section C: Review of policies, programmes and activities of the Authority:

This shall include the account/review with respect to the following broad areas:

- (i) Capital Market
- (ii) Banking
- (iii) Insurance

- (iv) International Bullion Exchange
- (v) Fintech Hub
- (vi) Global in House Centres
- (vii) Aircraft Leasing
- (viii) Other areas

The write-up should detail on point (a) to point (j) as described below:

- (a) Financial Products/Services/Market Infrastructure Institutions: Activities with respect to regulations, notifications, issuance of major circulars/guidelines including
- (b) Transaction/Processes/Operations/Trends
- (c) Advocacy and Outreach: Campaigns, engagements/consultations, publications etc.
- (d) Research: Working papers, research reports, assessment & prospects etc.
- (e) Regulations and Supervision
- (f) Surveillance Mechanisms
- (g) Enforcement and Recovery proceedings
- (h) Legal Aspect
- (i) International Engagements
- (j) Policies and Programmes for the following year

Section D: A List/coverage of the quasi-legislative, executive and quasi-judicial functions of the Authority:

Section E: A performance assessment of the Authority with respect to: Outcomes/Target/Achievement/Impact (with respect to objectives, mandate, vision). Summary data of the same:

Section F: Source of funds and major areas of expenditure:

Section G: A statement of non-compliance, if any, with statutory obligations by the Authority and the reason for the same;

Section H: Organisational Matters, including Meetings, Human Resources, Audit Committee, Right to Information and Transparency, Investor protection:

Section I: Such other details as would enable the stakeholders to review and appreciate the performance of the Authority:

Section J: Audit Committees:

Data Appendix: In support of the above

[F. No. 3/7/2020-EM(Part)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.